न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः रामचन्द्र खटीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 12/2018

उनवान

पवन कुमार पिता दलिया गायरी जाति गायरी निवासी बस्सी चन्दनसिंह तहसील गढ़ी।

—:

बनाम

तहसीलदार, गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

—: अ

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136— भू—राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 22/8,

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी कृषि भूमि खाता संख्या 13 (नई) 11 के सर्वे नम्बर 143 रकबा 0.12 हे0 वाके गांव बस्सी चन्दनसिंह पटवार हल्का लसाड़ा त गढ़ी जिला बांसवाड़ा में स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी काबिज होकर इसका उपयोग व करता चला आ रहा है। परन्तु राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम पवन कुमार के स्थान पर दर्ज होगया है। प्रार्थी के नाम से जारी विद्यालय रिकार्ड, परिवार राशन कार्ड, आधार भामाशाह कार्ड, मतदाता पहचा—पत्र, जॉबकार्ड आदि में प्रार्थी का नाम पवन कुमार गायरी है। प्रार्थी के राजस्व रेकार्ड में हुई उक्त त्रुटी को दुरस्त किया जाना आवश्यक है।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसील नाम सम्मन जारी किये जाने पर अप्रार्थी तहसीलदार की ओर से काई उपसिथत नही तत्पश्चात् प्रकरण में अप्रार्थी तहसीलदार का जवाब बन्द किया जाकर पत्रावली एक पक्षीय हेतु नियत की गई।

प्रकरण में प्रार्थी अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस पर मनन् कर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र, संलग्न अभिलेख का अवलोकन करने पर न्यायाल निश्कर्ष पर पहूँचा हैं कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि वाके ग्राम बस्सी चन्दनसिंह की संख्या 13 (नई) 11 (पुरानी) में प्रार्थी का नाम पेमजी दर्ज रेकार्ड हैं तथा प्रार्थी के अन्य दस्तावेजात पवन कुमार के नाम से जारी किये हुऐ है। अतः पटवार हल्का लसाड़ा के बस्सी चन्दनसिंह की खाता संख्या 13 (नई) 11 (पुरानी) में प्रार्थी का नाम पेमजी के स्था पवन कुमार बाकि बदस्तुर दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22.8.2019 को सुनाया गया।

(रामचन्द्र खटीक)

उपखण्ड अधिकारी

गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी

गढ़ी, जिला बांसवाड़ा